रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 321] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 2005/चैत्र 9, 1927

No. 321] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 2005/CHAITRA 9, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2005

का.आ. 451(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1988 के नियम 124 के उप-नियम (1) के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109 की उप-धारा (3) और धारा 110 की उप-धारा (1) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ. 1365 (अ), तारीख 13 दिसम्बर, 2004, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, ——

(i) क्रम सं0 1 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"*1	निम्नलिखित अनुप्रयोग के लिए मोटर यानों जिसके अंतर्गत संनिर्माण उपस्कर यान भी हैं, में प्रयुक्त ऑटोमोबाइल लैंप; i) मुख्य हैडलाइट और डिम ii) पार्किंग लाइट iii) दिशा सूचक लैंम्प iv) टेल लैंप v) रिवर्सिंग लैंम्प vi) स्टॉप लैंप vii) पिछले रजिस्ट्रेशन चिह्न को दर्शाने वाला लैंप viii) टॉप लाइट ।	ए आई एस - 034/2004	1 अप्रैल, 2005। (दुपहिया और तिपहिया के लिए) 1 अक्तूबर, 2005 । (चार पहिया के लिए)";

(ii) क्रम सं0 20 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"* 20 तीन से अधिक पहिए वाले गैर-परिवहन और परिवहन यानों ओर उनके ट्रेलरों व अर्धट्रेलरों के लिए निम्नलिखित के अध्यधीन प्रकाश और प्रकाश सिग्नल तंत्र की स्थापना,	ए आई एस - 008/2001	13 दिसम्बर, 2004 ।
i) डिप्ड बीम हैड लैंप के उर्ध्वाधर अभिविन्यास के लिए संस्थापन अपेक्षा;	ए आई एस - 008/2001 का खंड 6.2.6.1	1 अक्तूबर, 2005 ।
ii) प्रकाश, प्रकाश संकेत और दिशा सूचक प्रणाली की कार्य निष्पादन अपेक्षाएं;	सुरक्षा मानक सं. 15.1 ए आई एस - 012/2004	13 दिसम्बर, 2004 और 30 सितम्बर, 2005 तक वैध । 1 अक्तूबर, 2005 ।
iii) मुड़ने के संकेत के स्वत: बन्द होने की अपेक्षा को छोड़कर संनिर्माण उपस्कर यानों की प्रकाश, प्रकाश संकेत और दिशा सूचक प्रणाली की कार्य निष्पादन अपेक्षाएं । **अपवाद:** सुरक्षा मानक संख्या 15.1 का अनुपालन, कृषि ट्रेक्टर और अन्य विशेष उददेशीय मोटर यानों पर लागू नहीं होगा ।	सुरक्षा मानक सं. 15.1	13 दिसम्बर, 2004 । "।

[फा. सं. आरटी-11011/13/2001-एमवीएल]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2005

S.O. 451(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 109 and clause (k) of sub-section (1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), read with sub-rule (1) of rule 124 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O.1365(E) dated 13th December, 2004, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), namely:-

In the said notification, in the Table, -

(i) for Sl. No. 1 and entries thereto, the following shall be substituted, namely:-

"*1	Automobile lamps used in motor vehicles including construction equipment vehicles for the following applications: (i) Head Lights Main and Dip (ii) Parking Light (iii) Direction Indicator Lamp (iv) Tail Lamp (v) Reversing Lamp (vi) Stop Lamp (vii) Rear Registration Mark Illuminating Lamp (viii) Top Light	AIS-034/2004	1st April, 2005. (For 2 and 3 wheelers) 1st October, 2005 (For 4 wheeelers)";

(ii) for Sl. No. 20 and entries thereto, the following shall be substituted, namely:-

"*20.	Installation requirement for lighting and light signaling devices for non-transport and transport vehicles having more than three wheels, and their trailers and semi-trailers, subject to the following;	AIS-008/2001	13th December, 2004.
	(i)Installation requirement for vertical orientation of dipped beam headlamp;	Clause 6.2.6.1 of AIS-008/2001	1st October, 2005.
	(ii)Performance requirement of the lighting, light signaling and direction indicator systems;	Safety Standard No. 15.1	13th December, 2004 and valid upto 30th September, 2005.
		AIS-012/2004	1st October, 2005.
	(iii)Performance requirement of lighting, light signaling and direction indicator systems of construction equipment vehicles except the requirement of self-cancellation of turn signal indication,	Safety Standard No. 15.1	13th December, 2004.".

	Exception: Compliance of Safety Standard No. 15.1 shall not be applicable to agricultural tractor and other special purpose motor vehicles.		

[F. No. RT-11011/13/2001-MVL]

ALOK RAWAT, Jt. Secy.